।। कार्यालय प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।।

E- mail ID jail-trg-rj@nic.in

क्रमांक: लेखा/2025-26/2020 दिनांक: 25/06/25

-: सिमित निविदा सूचना संख्या 02/2025-26 :-

इस संस्थान के भवनों की रिपेयर मैन्टेनेन्स कार्य अनुमानित लागत राशि रु. 1.29 लाख कराया जाना है अत: पंजिकृत ठेकेदारों से अपनी मोहरबन्द निविदा दिनांक 04.07.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक संस्थान कार्यालय पर आमंत्रित की जाती है उक्त निविदा sppp पोर्टल " http://sppp.raj.nic.in " एवं विभागीय वैब साईट " https://jail.rajasthan.gov.in " पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

UBN JLD2526WSLB00061
NIB Code JLD2526A0058

Sd
प्राचार्य

क्रमांक: 2021-29 दिनांक: 25/06/25

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति जरिये ई-मेल एवं व्यक्तिगत प्रति भिजवाकर निवेदक है कि निविदा सूचना एक क्षेत्रिय दैनिक समाचार पत्र के स्थानिय अंक में नियमानुसार प्रकाशित कराने का कष्ट करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोगामर महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को जरिये ई-मेल प्रेषित कर लेख है कि निविदा सूचना का नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।
3. श्री विनोद डिण्डोर, कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि निविदा सूचना का sppp पोर्टल पर अपलोड कर प्रदर्शित करने का श्रम करें।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, उच्च सुरक्षा कारागृह/केन्द्रीय कारागृह/नगर निगम/ सा.नि.विभाग/ए.डी.ए. अजमेर।
5. आदेश पत्रावली।

पारस

प्राचार्य
कारागार प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर

।। कार्यालय प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।।

क्रमांक: लेखा/2025-26/2020 दिनांक: 25/06/25

-: सिमित निविदा सूचना संख्या 02/2025-26 :-

इस संस्थान परिसर में स्थित भवनों की रिपेयर मैन्टेनेन्स कार्य अनुमानित लागत 1.29 लाख कराया जाना है अतः पंजिकृत ठेकेदारों से अपनी मोहरबन्द निविदा दिनांक 04.07.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक संस्थान कार्यालय पर आमन्त्रित की जाती है जिन्हें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष इसी दिवस दोपहर 03:00 बजे खोला जायेगा। उक्त निविदा sppp पोर्टल " http://sppp.raj.nic.in " एवं विभागीय वैब साईट " https://jail.rajasthan.gov.in " पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

सम्पादित किये जाने वाले का विवरण:-

1. कक्षाकक्ष नं. 01, 02, 03 कान्फ्रेन्स हॉल, मैस व शौचालय में सिलन से खराब हुए प्लास्टर को झाड़ कर नया प्लास्टर करना।
2. फर्श की टुटी टाईल को हटा कर नई टाईल लगाना।
3. दरवाजे खिड़की की मरम्मत का कार्य लाईट फिटिंग मरम्मत कार्य।
4. मरम्मत कार्य पर पुटटी, कलर पेंट का कार्य वॉशरूम की टाईल्स, कमोड बदलने का कार्य तथा मैस व वॉशरूम टायलेट में पानी की फिटींग मरम्मत का कार्य।

उक्त कार्य हेतु नियम व शर्ते निम्नानुसार रहेंगी:-

1. उक्त वार्णित समस्त कार्य माल मटेरियल व लेबर सहित सम्पादित करना होगा।
2. उक्त कार्य हेतु किसी भी तरह का अग्रिम देय नही होगा।
3. निविदा केवल पी.डब्ल्यू. नगर निगम ए.डी.ए, स्मार्टसिटी, पंचायत समिति/अन्य राजकीय विभागों में पंजिका ठेकेदार ही प्रस्तुत कर सकते है।
4. सम्पूर्ण भुगतान कार्य सम्पादन उपरान्त ही तकनीकि कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही किया जा सकेगा।
5. मरम्मत कार्य में लगाने वाली सामग्री उच्च गुणवता की ही लगानी होगी।
6. सिलन से खराब हुए प्लास्टर व आस-पास की जगह से पुराना व खराब प्लास्टर झाड़कर साफ करके नया प्लास्टर करना होगा।
7. दरवाजे खिड़कियों के कॉंच पोटिंग, चटकनी, कुन्दें कब्जे इत्यादि की पूर्ण मरम्मत करके देनी होगी। जिस हेतु अनुभवी कारपेंटर की व्यवस्था भी आपको अपने स्तर से करनी होगी।

8. टोयलेट/वॉशरूम के फर्श दिवारों की क्षतिग्रस्त टाईल हटाकर नई टाईल्स लगाकर देनी होगी।
9. फर्श की खराब टाईल्स भी पूर्वी में लगी टाईल के समान टाईल लगारकर देनी होगी।
10. मलवे को उठाकर परिसर से बाहर फिकवाने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी।
11. ईलेक्ट्रीक बोर्ड, वायर, कंसील व स्विच जो खराब व क्षतिग्रस्त है की भी उचित मापदंडों से मरम्मत करके देना होगा इस हेतु अनुभवी इलैक्ट्रीशियन की भी सेवाएं आपको अपने स्तर से लेने होगी।
12. टायलेट/ बाथरूम की पानी पाईप, लाईन, नल, वॉल इत्यादि जो क्षतिग्रस्त है को भी अनुभवी प्लम्बर की सेवा आपको अपने स्तर से ली जाकर सम्पादित करानी होगी।
13. मरम्मत कार्य उपरान्त आवश्यक्तानुसार उस पर पुट्टी, डिस्टेम्बर, कलर पैट इत्यादि करके पूर्ण करना होगा।
14. संस्थान में उक्त समस्त मरम्मत कार्य इस हेतु बनायी गयी निगरानी कमेटी के पर्यवेक्षण में कार्य सम्पादित करना होगा तथा उक्त पर्यवेक्षण कमेटी की सिफारिश पर ही बिल भुगतान किया जायेगा।
15. संवेदक को अपनी दरें निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी।
    (1) सिलन से खराब प्लास्टर व आस-पास के सम्भावित खराब प्लास्टर को पूर्ण रूप से झाड़ कर नया प्लास्टर करना प्रति वर्ग फीट की दर ....
    (2) क्षतिग्रस्त टाईल्स को हटाकर नई टाईल्स लगाने का प्रति वर्ग फीट की दर ....
    (3) मरम्मत कार्य पर पुट्टी, डिस्टेम्बर, कलर, पैन्ट का कार्य प्रति वर्ष फीट की दर ....
    (4) खिड़की दरवाजे के टुटे कांच व पुट्टी लगाई का कार्य प्रति खिड़की की दर।
    (5) प्लम्बीग कार्य में बदलने वाले समानों की वास्तविक किमत व लेबर प्रति पाइन्ट की दर ....।
    (6) विद्युत लाईन मरम्मत जिसमें तार, बोर्ड, बॉक्स, स्वीचबोर्ड, स्वीच, होल्डर इत्यादि की प्रति पाईन्ट की दर ....।

नोटः- मरम्मत कार्य में लगने वाले सामान यथा कांच वॉल, पाईप नल (टोंटी), होल्डर, स्वीच, वायर, कलर, इत्यादि सामान संवेदक को स्वयं ही क्रय कर के लगाने होगें संस्थान द्वारा किसी भी तरह का सामान उपलब्ध नई कराया जायेगा।

ग़्र

16. मरम्मत कार्य में उपयोग आने वाले सामान यथा तगारी, फावड़ा, चालना, बल्ली, चाली, तीपाया, करनी, पेचकस, नट बोल्ट इत्यादि की व्यवस्था भी संवेदक को ही करनी होगी संस्थान स्तर से उपलब्ध नही कराया जायेगा। उक्त सामानों के परिवहन व किराया इत्यादि को भी आप अपनी दरों में शामिल करते हुए दर प्रस्तुत कर सकते है।
17. मरम्मत कार्य में निर्माण सामग्री का रेशों पी.डब्ल्यू द्वारा निर्धारित अनुपात में ही मिश्रण से कार्य सम्पादित करेंगे।
18. उक्त समस्त मरम्मत कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर पूर्ण करके देना होगा।/विलम्ब पर/कार्य प्रारम्भ करके अवकाश करने पर प्रति अवकाश 1000/- की दर से पेनल्टी काटी जायेगी।
19. निविदादाता को अपनी निविदा स्वयं की फर्म के लेटर हैड पर तथा बिन्दु संख्या 16 में वर्णित अनुसार निविदा दरें मोहर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
20. निविदाता के पंजियन प्रमाण पत्र की प्रति अपनी निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
21. निविदादाता को उसके बिल का भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जायेगा अत: फर्म की बैंक डिटेल यथा खाता संख्या, आईएफसी कोड इत्यादि संस्थान को उपलब्ध कराने होगें।
22. कार्य सम्पादन में लापरवाही से जान-माल की क्षति हेतु संस्थान उत्तरदायी नही होगी संवेदक को ही समस्त प्रकार की क्षति वहन करनी होगी।
23. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्राचार्य महोदय का निर्णय अंतिम एवं संवेदक को मान्य होगा।
24. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
25. उक्त उपापन हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित अधिनियम 2012 व नियम 2013 के समस्त अन्य प्रावधान लागू व निविदादाता को मान्य होगें।
26. प्राप्त समस्त निविदाओं को किसी भी स्तर पर स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान का सुरक्षित है तथा संवेदक को मान्य होगा।

पारस

प्राचार्य
कारागार प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर

क्रमांकः 2030-42 दिनांकः 25/06/25

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमान महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर को आपकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 9859 दिनांक 08.05.2025 के क्रम में।
2. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. कार्य निरीक्षण/पर्यवेक्षण कमेटी कार्यालय हाजा।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/उच्च सुरक्षा, कारागृह/केन्द्रीय कारागृह/कलेक्ट्रेट/नगर निगम/सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर विकास प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
5. श्रीमान कोषाधिकारी, कोष कार्यालय अजमेर।
6. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्राचार्य
कारागार प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर